नम्बर व तारीख ... इस हुक्म की तामील हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.05.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है की प्रार्थी की खातेदारी भूमि पुराना खसरा संख्या 245 रकबा 3.6548 हैक्टेयर सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 892 रकबा 3.3459 हैक्टेयर सरहद मौजा सिवाना तहसील सिवाना में अवस्थित है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा सर्वे रिसर्वे के दौरान प्रार्थी के खातेदारी रकबा 3.6548 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में रकबा 3.3459 हैक्टेयर भूमि की तरमीम दर्शा दी उक्त तरमीम को कायम करते समय सहवन से रकबा 01.04 बीघा (0.3089) हैक्टेयर भूमि कम दर्शा दी, प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड गलत तरमीम को दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी व तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन व मनन किया। तहसीलदार सिवाना ने मौका रिपोर्ट में जाहिर किया है कि प्रार्थी के पुराना खसरा संख्या 245 का OCM 3.1875 हैक्टेयर ROR 3.6548 हैक्टेयर व क्षेत्रफल NCM 3.3459 हैक्टेयर है प्रार्थी का OCM रकबा पूर्व जमाबंदी से कम है लेकिन ROR का रकबा NCM से ज्यादा है प्रार्थी को NCM अनुसार ही रकबा दिया गया है जो उचित है। तहसीलदार सिवाना ने प्रार्थी के रकबे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किये जाने की अनुशंसा की है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 21.05.26 को सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

Scanned with OKEN Scanner